

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 03.10.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर | सदस्य |
| 2. श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 5. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. | सदस्य |
| 7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. | सदस्य सचिव |

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि Rajasthan Tenancy Act 1955 को Section 42 इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"42. General restrictions on sale, gift and bequest -- The sale, gift or bequest by a Khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if such sale gift or bequest is by a member of a Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe."

उक्त अधिनियम की धारा 42 की अनुपालना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को सिर्फ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही हस्तान्तरित की जा सकती है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि को सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही हस्तान्तरित की जा सकती है। अतः समस्त उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि कार्यालय में प्राप्त होने वाले राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन

21

कृषि भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु आवेदित प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में पुर्नगृहण के उपरान्त पुर्नगृहित भूमि का पट्टा विलेख भू-स्वामी के नाम से ही जारी किया जावे।

कतिपय प्रकरणों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा सामान्य जाति के व्यक्तियों को "सर्वाधिकार पत्र" दिया जाकर कई सरकारी व गैर सरकारी कार्यों हेतु अधिकृत कर दिया जाता है। इन प्रकरणों में भी पट्टा विलेख भूमि के स्वामी के नाम से ही जारी किया जावे।

आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय पत्रांक प.5 (16)/5 नविवि/2011-3, दिनांक 11.07.2012 में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 में दी गई केचमेंट क्षेत्र की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

"Where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc. from where water flows"

उक्त पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना की सुनिश्चितता हेतु प्राधिकरण स्तर पर निम्नानुसार कार्य योजना बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :-

1. प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित नदी, नाला, तालाब, आदि के वर्तमान जल प्रवाह क्षेत्र का सर्वे, चिन्हिकरण तथा सीमांकन करा कर रिकार्ड तैयार कराया जायेगा।
 - a. इस हेतु निकाय द्वारा अपने कार्यरत स्टाफ के अतिरिक्त विभाग द्वारा एम्पेनल्ड डेडीकेटेड कन्सलटेंट की सेवाएं ली जा सकेंगी।
 - b. इस हेतु मानसून अवधि के गूगल मानचित्र का उपयोग भी किया जा सकता है।
 - c. राजस्व विभाग में दर्ज जल प्रवाह क्षेत्र के रिकार्ड एवं मास्टर प्लान योजना में पूर्व चिन्हित जल प्रवाह क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है।
 - d. प्रारूप मास्टर प्लान/मास्टर प्लान में उपरोक्तानुसार चिन्हित सभी जल प्रवाह क्षेत्रों का अंकन यथासंभव किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जल प्रवाह क्षेत्र में भविष्य में कोई अतिक्रमण ना हो इस हेतु उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में दल/दस्तों का गठन किया जाकर समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी। आवश्यकता होने पर पुलिस बल का सहयोग लिया जायेगा।

94

कृषि भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु आवेदित प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में पुर्नगृहण के उपरान्त पुर्नगृहित भूमि का पट्टा विलेख भू-स्वामी के नाम से ही जारी किया जावे।

कतिपय प्रकरणों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा सामान्य जाति के व्यक्तियों को "सर्वाधिकार पत्र" दिया जाकर कई सरकारी व गैर सरकारी कार्यों हेतु अधिकृत कर दिया जाता है। इन प्रकरणों में भी पट्टा विलेख भूमि के स्वामी के नाम से ही जारी किया जावे।

आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय पत्रांक प.5 (16)/5 नविवि/2011-3, दिनांक 11.07.2012 में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 में दी गई केचमेंट क्षेत्र की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

"Where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc. from where water flows"

उक्त पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना की सुनिश्चितता हेतु प्राधिकरण स्तर पर निम्नानुसार कार्य योजना बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :-

1. प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित नदी, नाला, तालाब, आदि के वर्तमान जल प्रवाह क्षेत्र का सर्वे, चिन्हिकरण तथा सीमांकन करा कर रिकार्ड तैयार कराया जायेगा।
 - a. इस हेतु निकाय द्वारा अपने कार्यरत स्टाफ के अतिरिक्त विभाग द्वारा एम्पेनल्ड डेडीकेटेड कन्सलटेंट की सेवाएँ ली जा सकेंगी।
 - b. इस हेतु मानसून अवधि के गूगल मानचित्र का उपयोग भी किया जा सकता है।
 - c. राजस्व विभाग में दर्ज जल प्रवाह क्षेत्र के रिकार्ड एवं मास्टर प्लान योजना में पूर्व चिन्हित जल प्रवाह क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है।
 - d. प्रारूप मास्टर प्लान/मास्टर प्लान में उपरोक्तानुसार चिन्हित सभी जल प्रवाह क्षेत्रों का अंकन यथासंभव किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जल प्रवाह क्षेत्र में भविष्य में कोई अतिक्रमण ना हो इस हेतु उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में दल/दस्तों का गठन किया जाकर समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी। आवश्यकता होने पर पुलिस बल का सहयोग लिया जायेगा।

24

3. सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित जल प्रवाह क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिए कार्य योजना बनायी जावेगी, जिसमें जल प्रवाह क्षेत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण आदि का कार्य भी सुनिश्चित किया जायेगा।
4. जोहड़, नाला, टैंक, नदी, तालाब के जल प्रवाह क्षेत्र में भूमि आवंटन/संपरिवर्तन/नियमन/निर्माण स्वीकृति बाबत कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं प्रतिबन्ध रहेगा। इसकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाये।
5. प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 3 तारीख तक उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा समिति के समस्त सदस्यों को उक्त बिन्दुओं की अक्षरशः पालना करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उप नगर नियोजक को निर्देशित किया गया कि वे रिमोट सेंसिंग विभाग से सेटेलाइट ईमेज प्राप्त कर कैचमेन्ट एरिया चिन्हित करवाकर उसे एक माह के भीतर-भीतर खसरा मानचित्र व मास्टर प्लान पर अंकित करेंगे।

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि जोजरी नदी के सहारे-सहारे अनाधिकृत रूप से भूखण्ड काटे जाकर विकसित की जा रही आवासीय कोलोनिया को तुरन्त हटाया जाना आवश्यक है। आयुक्त द्वारा सम्बन्धित उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अनाधिकृत स्थल चिन्हित कर, सम्बन्धितों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटवाने का कार्य करेंगे। साथ ही उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जोजरी नदी के सहारे-सहारे जोजरी रीवर फ्रन्ट बनाया जाना प्रस्तावित है एवं प्राधिकरण की बैठक, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परियोजना के लिए नगर निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, अतः जोजरी नदी के सहारे-सहारे किसी भी योजना का योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय नगर निगम के सम्बन्धित अद्यक्ष अभियन्ता से इस हेतु रिपोर्ट ली जावे कि उक्त खसरान् की भूमि जोजरी रीवर फ्रन्ट में तो नहीं आ रही है ? • प्राधिकरण के उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे।

सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर मास्टर प्लान में जोजरी नदी के सहारे-सहारे वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है, जिसे योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय आवश्यक रूप से छुड़वाई जावे। इस पर उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि जोजरी नदी के सहारे-सहारे मौका स्थिति के अनुरूप वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया गया है, जो नदी के सहारे-सहारे कहीं कम चौड़ी या कहीं अधिक चौड़ी प्रस्तावित की गई है। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में जोजरी नदी के सहारे-सहारे अनुमोदित किये जाने वाले योजना मानचित्रों में जोजरी नदी के सहारे-सहारे न्यूनतम 100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी आवश्यक रूप से छुड़वाई जावे।

साथ ही आयुक्त द्वारा समस्त उपायुक्तों को यह भी निर्देशित किया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में जहाँ कहीं भी अनाधिकृत रूप से कोलोनियाँ बस रही हैं, उन कोलोनियों के विकासकर्ताओं को नोटिस दिये जावे एवं उनको अतिक्रमण की श्रेणी माना जाकर हटाये जाने की कार्यवाही की जावे। प्राधिकरण क्षेत्र में इस हेतु जगह-जगह सूचना

पट्ट लगाया जाकर एवं समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आमजन को इस सम्बन्ध में आगाह किया जावे।

आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित उपायुक्त को यह निर्देशित किया जाता है कि "पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करे तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करावे।" समिति द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। अतः आयुक्त द्वारा समस्त उपायुक्तों को पुनः निर्देशित किया गया कि वे जोनवार सम्पदा रजिस्टर का संधारण करवाकर, वर्ष 2008 में प्राधिकरण के गठन के उपरान्त ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रत्येक योजना मानचित्र में अंकित पार्क, सुविधाओं इत्यादि को सम्पदा रजिस्टर में आवश्यक रूप से अंकित करवाकर आगामी एक माह में प्रस्तुत करें। सम्पदा रजिस्टर को संधारित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित तहसीलदार की होगी।

तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 83 व 83/1 की रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
गार्ड पत्रावली (प्रकरण 17.6.99 से पूर्व)

राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 83 व 83/1 की रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है, जिसमें बिक्री योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(90)नविवि/3/2012, दिनांक 21.06.2012 में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों के लिये निर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना में अधिकांशतः मकानात् बन चुके हैं एवं मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित हो चुका है। प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर ले-आऊट प्लान के मध्य भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर दर्शित सड़क की चौड़ाई 30' रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु उक्त सड़क के मार्गाधिकार में आने वाले भूखण्डों का आकार तदानुसार कम रखा जाकर पट्टा विलेख जारी किये जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

2. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 177/1, 177/2 व 177/3 की रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री भँवरलाल, श्री लिखमाराम वगैरह।
प्रकरण संख्या :- 06/2012

उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान समिति की बैठक, दिनांक 05.09.2012 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी समीपस्थ भूमि से आवेदित भूमि को प्रस्तावित 40 फीट पहुँच मार्ग की भूमि प्राधिकरण के नाम निःशुल्क समर्पण हेतु सम्बन्धित खातेदार से समर्पणनामा प्रस्तुत करे तथा मौके पर विकसित सड़को को हटाकर जोन कार्यालय को सूचित करे। तत्पश्चात् जोन कार्यालय मौका रिपोर्ट करवावे तथा रिपोर्ट सही पाये जाने पर प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि समिति द्वारा वाछिंत समर्पणनामा प्रार्थी ने प्रस्तुत कर दिया है व मौके पर विकसित सड़कों को भी हटा दिया है। उपायुक्त द्वारा पुनः मौका निरीक्षण कर लिया गया है, जिसके अनुसार मौके पर भूमि समतल है एवं सड़क प्रतिरूप विकसित नहीं है। आवेदित भूमि को 40' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुरूप राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 177/1, 177/2 व 177/3 की रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. पुलिस थाना बनाड़ हेतु भूमि आवंटन की पत्रावली।

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक भ.4()जोपुआ/भवन/2012/516, दिनांक 08.08.2012 द्वारा राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 119 की भूमि में से रकबा 15 बीघा भूमि पुलिस थाना बनाड़ के प्रशासकीय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने का निवेदन किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 121 व 122 की भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र तैयार किया जा रहा है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 119 का कुल रकबा 35 बीघा दर्शित है। पी.टी. सर्वे करवाने से ज्ञात हुआ है कि मौके पर 35 बीघा के स्थान पर लगभग 31 बीघा भूमि ही उपलब्ध है। जिसमें से रास्ते एवं रेलवे लाईन की भूमि को अलग किया जाता है, तो मात्र 27 बीघा भूमि शेष बचती है। राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 119 की भूमि में से 10 बीघा भूमि शंकर नेत्रालय संस्थान एवं 20 बीघा भूमि आर.टी.ओ. ऑफिस को आवंटित की जानी प्रस्तावित है।

दिनांक 28.08.2012 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुरूप पुलिस थाना, बनाड़ को राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 122 की भूमि में से 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 119, 121 व 122 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर रेलवे लाईन व इसके सहारे प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त आराजियात की भूमियों में से खसरा नम्बर 119 का एक अलग एवं खसरा नम्बर 121 व 122 का संयुक्त संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र बनाया गया है, जो समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त भूमियों का योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर पर उक्त आराजियात की भूमि का आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रेलवे भूमि सीमा व उसके पश्चात् प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ने के उपरान्त उक्त आराजियात की भूमियों का संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमियों का आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शीघ्र की जावे। चूकिं उक्त भूमियों में विभिन्न संस्थाओं को भू-आवंटन शीघ्र किया जाना है, अतः भू-आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे तथा भू-उपयोग परिवर्तन के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं रोकी जावे।

4. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680 की रकबा 13 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री छंवरलाल
प्रकरण संख्या 28/2012

उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 05.09.2012 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि के ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को का लिंक प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को से करते हुए संशोधित ले-आऊट प्लान प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात् प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी ने समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप योजना मानचित्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी की भूमि को राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680/1 की भूमि में से एप्रोच उपलब्ध होती है, जिसका योजना मानचित्र ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा पूर्व में किया गया है। हाल ही में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680/1 की एप्रोच के सम्बन्ध में एक आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रथमतः राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680/1 के पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

5. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 255/2 व 256 की रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री कानाराम पुत्र श्री हेमाराम
प्रकरण संख्या :- 58/11

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 255/2 व 256 की रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। उक्त भूमि झंवर-गंगाणा सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें आवेदक द्वारा झंवर-गंगाणा सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/2 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री लीलाधर भट्टड
प्रकरण संख्या :- 53/11

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/2 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22.05.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में सड़क पर स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट

5. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 255/2 व 256 की रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री कानाराम पुत्र श्री हेमाराम
प्रकरण संख्या :- 58/11

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 255/2 व 256 की रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। उक्त भूमि झंवर-गंगाणा सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें आवेदक द्वारा झंवर-गंगाणा सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/2 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री लीलाधर भट्टड़
प्रकरण संख्या :- 53/11

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/2 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22.05.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में सड़क पर स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट

प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 75'-75' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/1 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री लीलाधर भट्ट

प्रकरण संख्या :- 54/11

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 764/1 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22.05.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में सड़क पर स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 75'-75' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि

का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम खटावास के खसरा नम्बर 479, 481 व 482 की रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती झमकू देवी

प्रकरण संख्या :- 07/2012

राजस्व ग्राम खटावास के खसरा नम्बर 479, 481 व 482 की रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। उक्त भूमि बालोतरा-जोधपुर सड़क के दोनो ओर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर जोधपुर-बालोतरा सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। योजना मानचित्र के पश्चिमी भाग में जोधपुर-बालोतरा सड़क से उत्तर दिशा की तरफ एक 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है, जिसे संशोधित मानचित्र में दर्शाये अनुसार उत्तर दिशा में स्थित समीपीय भूमियो का ले-आऊट प्लान स्वीकृत करते समय ओर आगे बढ़ाया जाना होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

9. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1804 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- गेटवे ब्यापार प्राईवेट लिमिटेड
प्रकरण संख्या :- 02/2012

राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1804 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि नयापुरा जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रश्नगत भूमि के उत्तरी भाग में एक 20 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर नयापुरा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट तथा आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में दर्शित सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 15 फीट भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 496, 498, 499, 501 से 505 की रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती ललिता कुम्भट, श्रीमती संगीता कुम्भट वगैराह।
प्रकरण संख्या :- 366/2010

राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 496, 498, 499, 501 से 505 की रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि गोकुलजी की प्याऊ से आगंगवा जाने वाली सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि के दक्षिण में सड़क के पश्चात् तालाब स्थित है। समिति द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करे, कि प्रश्नगत भूमि तालाब के जलभराव क्षेत्र में तो नहीं आ रही है ? जल संसाधन विभाग से प्रश्नगत भूमि तालाब के जलभराव क्षेत्र से प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी प्राप्त की जावे। साथ ही आवेदित भूमि के मध्य में स्थित राजस्व रास्ते की चौड़ाई 60' रखते हुए योजना मानचित्र प्राप्त किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 152 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री हरेन्द्र पाल सिंह
प्रकरण संख्या :- 86/2012

राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 152 की रकबा 3 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि भाकरासनी गाँव जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त क्षेत्र में बनाये गये रोड नेटवर्क प्लान के प्रस्तावानुसार आवेदित भूमि के पीछे से एक 100' चौड़ी सैक्टर रोड गुजरती है, जिसको योजना मानचित्र में प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से रोड नेटवर्क प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सड़कें दर्शित करते हुए नवीन मानचित्र प्राप्त किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 379/1 की रकबा 4 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रूपाराम, श्री रेवन्तराम
प्रकरण संख्या :- 64/2011

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 379/1 की रकबा 4 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर पाल-सांगरिया सड़क से दक्षिण में जाने वाले राजस्व रास्ते के पूर्व दिशा में स्थित है। उक्त आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त सड़क को 40' दर्शाते हुए आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान में प्राक्धानिक किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़को का समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़कों से मिलान/निरन्तरता की सुनिश्चितता हेतु आवेदक से समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र प्राप्त किये जावे। समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़कों को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र से लिंक/मिलान करने के उपरान्त प्रकरण समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 209/4/1 व 209/4/2 की रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- जयनारायण भाटी
प्रकरण संख्या :- 662/2011

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 209/4/1 व 209/4/2 की रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है, जिसमें बिक्री योग्य क्षेत्रफल 78.31 प्रतिशत है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। उक्त योजना में अधिकांशतः मकानात् बन चुके हैं एवं मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित हो चुका है।

प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूकिं उक्त योजना में बिक्री योग्य क्षेत्रफल 78.31 प्रतिशत है, अतः नियमन करने से पूर्व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे प्रश्नगत भूमि के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से पूर्वानुमति हेतु पत्र लिखे एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(90)नविवि/3/2012, दिनांक 21.06.2012 में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों के लिये निर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रश्नगत भूमि के पहुँच मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में मौका एवं रेकार्ड से परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/10 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती हीरादेवी, श्री राकेश कुमार

प्रकरण संख्या :- 84/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/10 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि सालावास-बोरानाडा सड़क के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनों ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे

तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानो की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशो एवं प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/9 की रकबा 3 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री सोहनलाल, श्री सन्तोष कुमार वगैराह

प्रकरण संख्या :- 85/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/9 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि सालावास-बोरानाडा सड़क के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान हैं, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे

तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2 की रकबा 1.94 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री नारायण राम

प्रकरण संख्या 88/2012

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2 की रकबा 1.94 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नगत भूमि लम्बवत आकार में है, जिस पर राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों के अनुरूप सेटबैक लगाये जाने के उपरान्त भूखण्ड के शेष भाग पर आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता बाबत रिपोर्ट नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सेटबैक लगाने के पश्चात् न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता का तकनीकी परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

17. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2/1 की रकबा 1.94 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रामदेव पुत्र श्री बन्नाराम
प्रकरण संख्या 87/2012

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2/1 की रकबा 1.94 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नगत भूमि लम्बवत आकार में है, जिस पर राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों के अनुरूप सेटबैक लगाये जाने के उपरान्त भूखण्ड के शेष भाग पर आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता बाबत रिपोर्ट नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सेटबैक लगाने के पश्चात् न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता का तकनीकी परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 264/2 की रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री प्रभुराम
प्रकरण संख्या :- 02/2012

राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 264/2 की रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि नन्दवान-फीच सड़क के पूर्व दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व


वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।


समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर नन्दवान-फीच सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 50' भूमि दोनो तरफ छोड़ते हुए आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान हैं, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशो एवं प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।


आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।